रजिस्ट्री सं. डी. एल.—33001/99 REGISTERED NO. DL-33001/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 17, 1999/आषाढ़ 26, 1921
No. 16] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 17, 1999/ASADHA 26, 1921

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## भाग II—खण्ड 4
## PART II— Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1999

का.नि.आ. 116:—चूंकि केन्द्र सरकार ने अधिसूचना सं.का.नि.आ. 224 तारीख 29 अगस्त, 1987 द्वारा वायुसेना यूनिट सं. 54 वायु सामग्री पार्क, वायुसेना के आस-पास की भूमि के उपयोग और उपभोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जिससे कि ऐसी भूमि को भवनों और बाधाओं से मुक्त रखा जा सके;

और चूंकि केन्द्र सरकार ने का.नि.आ. 119 तारीख 4 जून 1996 द्वारा अवधि बढ़ाई थी, जो 28 फरवरी 1998 को समाप्त हो गई;

अतः अब केन्द्र सरकार रक्षा संकर्म अधिनियम 1903 (1903 का 7) की धारा 9 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि कलक्टर गुड़गांव जिला ऊपर निदिष्ट भूमि के संबंध में इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दिसम्बर, 2000 तक उक्त धारा के अधीन आवश्यक कार्रवाई करेगा।

[रक्षा मंत्रालय वा से मु/एस. 36009/114/1/ डब्ल्यू. (एम सी)/830/डी (एयर-II)]
डा. परविंदर कौर, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 6th July, 1999

S.R.O. 116.—Whereas the Central Government had declared to impose restrictions upon the use and enjoyment of the land in the vicinity of Air Force Unit No. 54 Air Store Park, Air Force to keep such land free from buildings and obstructions as specified in Notification No. SRO 224 dated 29th August, 1987;



Attested

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

(रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन)

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1999

का. नि. आ. 119.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 8 में,—

(अ) उपनियम (1) के खंड (ख) में "तय की जाएगी" शब्दों के पश्चात् "सिवाए वैज्ञानिक 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) की दशा में, जो प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा," शब्द जोड़े जाएंगे ;

(आ) उप नियम (2) के खंड (क) में,—

(i) "सेवा में एक श्रेणी से अगली उच्चतर श्रेणी में" शब्दों के स्थान पर "वैज्ञानिक 'ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) श्रेणी के पद के सिवाए सेवा में एक श्रेणी से अगली उच्चतर श्रेणी में" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "वैज्ञानिक 'च' से 'छ' तक के लिए" शब्दों के पश्चात् "और वैज्ञानिक 'छ' में ज' (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) तक के लिए" शब्द जोड़े जाएंगे।

(iii) "और न्यूनतम पांच वर्ष की आवासी कालावधि के पूरा होने पर वैज्ञानिक 'च' की," शब्दों के स्थान पर "और क्रमशः पांच वर्ष और तीन वर्ष की आवासी कालावधि के पूरा होने पर वैज्ञानिक 'च' और वैज्ञानिक 'छ' की," शब्द रखे जाएंगे।

(इ) उपनियम (2) के खंड (ख) में उपखंड के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"(iii) अनुसूची 1घ में विनिर्दिष्ट पीयर समिति ऐसे वैज्ञानिक "ज" का मूल्यांकन करेगी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है और जिनके बारे में आन्तरिक छटनी समिति द्वारा गुणागुण उपलब्धियों, नेतृत्व और प्रबंधकीय गुणों के आधार पर वैज्ञानिक "ज" के पद पर प्रोन्नति के लिए सिफारिश कर दी है, वहां साक्षात्कार निर्धारण नहीं किया जाएगा"।

3. उक्त नियम में, विद्यमान अनुसूची 1 ख के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची 1 ख

[नियम 8 (2) देखिए]

वैज्ञानिक "च" और वैज्ञानिक "छ" की गोपनीय निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों का पुनर्विलोकन करने के लिए आन्तरिक छटनी समिति

(क) वैज्ञानिक "च"

(i) सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग या उसके द्वारा नामनिर्देशित प्रख्यात वैज्ञानिक —अध्यक्ष

(ii) ऐसे दो वैज्ञानिक, जो सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नामनिर्देशित वैज्ञानिक "छ" के स्तर से नीचे का न हो —सदस्य

(ख) वैज्ञानिक "छ"

(i) सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग या उसके द्वारा नामनिर्देशित प्रख्यात वैज्ञानिक —अध्यक्ष

(ii) ऐसे दो वैज्ञानिक, जो सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग द्वारा नामनिर्देशित वैज्ञानिक "ज" के स्तर से नीचे का न हो —सदस्य

टिप्पण : अध्यक्ष से भिन्न, समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण आंतरिक छटनी समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी।"

4. उक्त नियम में, विद्यमान अनुसूची 1 घ के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी अर्थात् :—

"उक्त अनुसूची 1 घ

[नियम 8 (2) देखिये]

रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा में अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए वैज्ञानिक "च" और वैज्ञानिक "छ" की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए पीयर समिति

(i) अध्यक्ष, भर्ती और निर्धारण केन्द्र, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग —अध्यक्ष

(ii) सचिव, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग —सदस्य

(iii) अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित केन्द्रीय सरकार के अन्य वैज्ञानिक विभागों से कोई दो सचिव —सदस्य

(iv) अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित कोई विख्यात वैज्ञानिक या प्रबंध विशेषज्ञ —सदस्य

Attested

Asstt C... (... Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

(5) अनुसंधान और विकास महानिदेशक द्वारा —सदस्य नामनिर्देशित रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन का एक प्रख्यात वैज्ञानिक

टिप्पण : अध्यक्ष के भिन्न, पीयर समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण पीयर समिति की कार्यवाहियां अविधिमान्य नहीं होंगी ।"

5. उक्त अनुसूची में विद्यमान अनुसूची 2 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

"अनुसूची 2

[नियम (4) देखिए]

रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा में सम्मिलित समूह "क" पदों की संख्या और वेतनमान

| क्रम संख्या | पद का नाम | वेतनमान | पद संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | वैज्ञानिक "ख" | 8000-275-13500 रु. | |
| 2. | वैज्ञानिक "ग" | 10000-325-15200 रु. | |
| 3. | वैज्ञानिक "घ" | 12000-375-16500 रु. | 5391** |
| 4. | वैज्ञानिक "ड" | 14300-400-18300 रु. | |
| 5. | वैज्ञानिक "च" | 16400-450-20000 रु. | |
| 6. | वैज्ञानिक "छ" | 18400-500-22400 रु. | |
| 7. | वैज्ञानिक "ज" (उत्कृष्ट वैज्ञानिक) | 22400-525-24500 रु. | 18 *(वैज्ञानिक "छ" के संख्या का 10 प्रतिशत) |
| 8. | रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और अनुसंधान और विकास महानिदेशक | केन्द्रीय सरकार समय समय पर किए गए विनिश्चय के अनुसार | |

* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

** यह सभी पद लचीली पूरक स्कीम के अंतर्गत आते हैं ।"

[सं. डी आर डी ओ/76205/एम पी डी]

एन.सी.एस. नेगी, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—रक्षा अनुसंधान एवं विकास सेवा नियम भारत के राजपत्र भाग 2 खंड 4 में का.नि.आ. 8 तारीख 30 दिसम्बर, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे । मूल नियम का का.नि.आ. 307 तारीख 10 अक्तूबर, 1980, का.नि.आ. 196 तारीख 02 अगस्त, 1982, का.नि.आ. 159 तारीख 05 मई, 1983, का.नि.आ. 176 तारीख 7 अगस्त, 1984, का.नि.आ. 228 तारीख 13 नवम्बर, 1984, का.नि.आ. 170 तारीख 12 जुलाई, 1985 का.नि.आ. 186 तारीख 02 अगस्त, 1985, का.नि.आ. 228 तारीख 06 जून, 1986, का.नि.आ. 158 तारीख 04 मई, 1987, का.नि.आ. 328 तारीख 25 सितम्बर, 1990, का.नि.आ. 11 तारीख 10 अगस्त, 1990, का.नि.आ. 1 तारीख 04 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 33 तारीख 17 जनवरी, 1991, का.नि.आ. 74 तारीख 05 मार्च 1991, का.नि.आ. 146 तारीख 04 जुलाई, 1991, का.नि.आ. 74 तारीख 24 मार्च 1992, का.नि.आ. 125 तारीख 29 मई, 1992, का.नि.आ. 157 तारीख 26 अगस्त, 1994, का.नि.आ. 34 तारीख 08 मार्च, 1996, का.नि.आ. 33 तारीख 02 फरवरी, 1998 और का.नि.आ. 100 तारीख 30 जुलाई, 1998 द्वारा संशोधित किए गए ।

(Department of Defence Research and Development)

New Delhi, the 9th July, 1999

S.R.O. 119.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely:—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Defence Research and Development Service Rules, 1979 (hereinafter referred to as the said ruels), in rule 8,—

(A) in sub-rule (1), in clause (b), after the words "that particular post", the words "except in the case of Scientist 'H' (Outstanding Scientist) which shall be filled by promotion" shall be inserted.;

Attested.

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines, Delhi-54

(B) in sub-rule (2), in clause (a),—

(i) after the words "next higher grade in the service", the words "except to the grade of Scientist 'H' (Outstanding Scientist)" shall be inserted;

(ii) after the words "Scientist 'F' to 'G'", the words "and for Scientist 'G' to Scientist 'H' (Outstanding Scientist)" shall be inserted;

(iii) for the words "and of Scientist 'F' on completion of minimum residency period of five years", the words "and of Scientist 'F' and Sci ntist 'G', on completion of minimum residency period of five years and three years respectively" shall be substituted;

(C) in sub-rule (2), in clause (b), after sub-clause (ii), the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(iii) The Peer Committee as specified in Schedule 1D shall assess Scientist 'G', who have completed three years regular service in the grade and have been recommended by the Internal Screening Committee, for promotion to the post of Scientist 'H' (Outstanding Scientist) based on merit, achievements, leadership and managerial qualities. There shall be no assessment interview".

3. In the said rules, for the existing Schedule 1B the following Schedule shall be substituted, namely:—

"Schedule 1B

[See rule 8(2)]

The Internal Screening Committee to review confidential performance appraisal reports of Scientist 'F' and Scientist 'G'

(a) Scientist 'F'

(i) Secretary, Department of Defence Research and Development or a Distinguished Scientist nominated by him.

—Chairperson

(ii) Two Scientists not below the level of Scientist 'G' nominated by the Secretary, Department of Defence Research and Development.

—Members

(b) Scientist 'G'

(i) Secretary, Department of Defence Research and Development or a Distinguished Scientist nominated by him.

—Chairperson

(ii) Two Scientists not below the level of Scientist 'H' (Outstanding Scientist) nominated by the Secretary, Department of Defence Research and Development.

—Members

Note : The absence of any member of the Committee other than the Chairperson shall not invalidate the proceedings of the Internal Screening Committee."

4. In the said rules, for the existing Schedule 1D, the following Schedule shall be substituted, namely:—

Schedule 1D

[See rule 8(2)]

The Peer Committee for assessing suitability of Scientist 'F' and Scientist 'G' for promotion to the next higher grade in Defence Research and Development Service.

(i) Chairman, Recruitment and Assessment Centre, Department of Defence Research and Development. —Chairperson

(ii) Secretary, Department of Defence Research and Development —Member

(iii) Any two Secretaries from other Scientific Departments of the Central Government decided by the Chairperson. —Member

(iv) An eminent Scientist or Management Specialist, nominated by the Chairperson —Member

Attested

Asstt Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

(v) One Distingushed Scientist of Defence Research and Development Organisation, nominated by Director General of Research and Development —Member

Note : The absence of any member of the Peer Committee other than the Chairperson shall not invalidate the proceedings of the Peer Committee."

5. In the said rules, for the existing SCHEDULE II, the following Schedule shall be substituted, namely:—

"Schedule II

[See rule (4)]

Number and scales of pay of Group 'A' posts included in the Defence Research and Development Service

| Sl. No. | Designation of Post | Scale of Pay | No. of Posts* |
|---|---|---|---|
| 1. | Scientist 'B' | Rs. 8000-275-13500 | |
| 2. | Scientist 'C' | Rs. 10000-325-15200 | 5391** |
| 3. | Scientist 'D' | Rs. 12000-375-16500 | |
| 4. | Scientist 'E' | Rs. 14300-400-18300 | |
| 5. | Scientist 'F' | Rs. 16400-450-20000 | |
| 6. | Scientist 'G' | Rs. 18400-500-22400 | |
| 7. | Scientist 'H' (Outstanding Scientist) | Rs. 22400-525-24500 | 18 (10% of the strength of Scientist 'G') |
| 8. | Scientific Adviser to Raksha Mantri and Director General Research and Development | As decided by the Central Government from time to time. | 1 |

*Subject to variation dependent on workload.

**All these posts are covered by flexible complementing scheme."

[No. DRDO/76205/MPD]

N.C.S. NEGI, Under Secy.

Foot Note :—The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part-II-Section 4, vide S.R.O. 8 dated the 30th December, 1978, have been amended vide S.R.O. 307 dated the 10th October, 1980, S.R.O. 196 dated the 2nd August, 1982, S.R.O. 159 dated the 5th May, 1983, S.R.O. 176 dated the 7th August, 1984, S.R.O. 228 dated the 13th November, 1984, S.R.O. 170 dated the 12th July, 1985, S.R.O. 185 dated the 2nd August, 1985, S.R.O. 228 dated the 6th June, 1986, S.R.O. 158 dated the 4th May, 1987, S.R.O. 328 dated the 25th September, 1987, S.R.O. 11-E dated the 10th August, 1990, S.R.O. 1 dated the 4th January, 1991, S.R.O. 33 dated the 17th January, 1991, S.R.O. 74 dated the 5th March, 1991, S.R.O. 146 dated the 4th July, 1991, S.R.O. 74 dated the 24th March, 1992, S.R.O. 125 dated the 29th May, 1992, S.R.O. 157 dated the 26th August, 1994, S.R.O. 34 dated the 8th March, 1996, S.R.O. 33 dated the 2nd February, 1998 and S.R.O. 100 dated 30th July, 1998.

Attested

[signature] 2/1/07

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54